*भाग–दो–क

अध्याय–चार

अभिभावक–अध्यापक एसोसिएशन विनियमावली 1986

*राजकीय गजट दिनांक 07–11–92 में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद–9/897 दिनांक 23.10.92 द्वारा संशोधित।

अध्याय–एक–प्रारम्भिक

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह विनियमावली अभिभावक–अध्यापक एसोसिएशन (संशोधन) विनियमावली, 1988 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– जब तक कि विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में––

(1) 'अधिनियम'' का तात्पर्य इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 से है।

(2) 'अध्यापक'' का तात्पर्य किसी संस्था के अध्यापक से है और इसमें प्राचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष और तकनीकी सहायक भी सम्मिलित हैं।

(3) 'अभिभावक'' का तात्पर्य किसी संस्था में अध्ययनरत् छात्र के स्थानीय अभिभावक से है।

(4) 'अध्यक्ष'' 'उपाध्यक्ष'', उपमंत्री या कोषाध्यक्ष का तात्पर्य इस विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार चुने गये एसोसिएशन की कार्यकारिणी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपमंत्री या कोषाध्यक्ष से है।

(5) 'एसोसियेशन'' का तात्पर्य प्रत्येक संस्था में गठित अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन से है, जिसके सदस्य अभिभावकगण और अध्यापकगण होगें।

(6) 'संस्था'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में परिभाषित किसी इण्टरमीडिएट कालेज, हायर सेकेण्डरी स्कूल या हाईस्कूल से है।

(7) 'प्रबन्ध समिति' का तात्पर्य किसी संस्था की प्रबन्ध समिति से है। जिन संस्थाओं में प्रबन्ध समिति नहीं है उनमें प्रबन्ध समिति के सम्बन्ध में इस विनियमावली में किये गये उपबन्ध लागू नहीं होगें।

3– एसोसिऐशन के उद्देश्य – एसोसियेशन के निम्नलिखित उद्देश्य होगें––

(1) संस्था और स्थानीय समाज के पारम्परिक संबंध को बढ़ाना।

(2) संस्था की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना और स्थानीय समाज के भौतिक, आर्थिक और नैतिक सहयोग से उनके निराकरण के लिए प्रयास करना।

(3) संस्था में नई शैक्षिक योजनाओं के संचालन और कियान्वयन के लिए स्थानीय समाज का सहयोग प्राप्त करना।

(4) स्थानीय समाज की शैक्षिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की पहचानकर उनके अनुकूल नवीन विषयों को पाठ्य विषयों में समावेश करने की संस्तुति करना।

(5) 'विद्यालय यथार्थ में स्थानीय समाज का आलोक स्तम्भ है।'' इस भावना को सन्तुष्ट करना।

(6) संस्था में अध्ययनरत् छात्रों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक उन्नयन के लिए योजनायें एवं कार्यक्रम बनाने में मार्गदर्शन एवं सहयोग देना, और

(7) प्रबंध समिति एवं प्रधानाचार्य को संस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए परामर्श एवं सहयोग देना, जिसमें संस्था के प्रबन्धकीय प्रशासन में हस्तक्षेप करना सम्मिलित नहीं हैं।

अध्याय–दो–कार्यकारिणी का गठन

4– कार्यकारिणी और उसके पदाधिकारी और सदस्य–एसोसिएशन के उद्धेश्यों की पूर्ति और उसके कार्य के सम्पादन के लिए एसोसिएशन की एक कार्यकारिणी होगी जिसके पदाधिकारी और सदस्य निम्नलिखित होगें :–

(1) अध्यक्ष (कार्यकारिणी के अभिभावक सदस्यों में से देवनागरी वर्णमाला के अनुसार चुना जायेगा)।

(2) उपाध्यक्ष – प्रधानाचार्य (पदेन)।

(3) मंत्री (देवनागरी वर्णमाला के कमानुसार कार्यकारिणी के अध्यापक सदस्यों में से चुना जायेगा)।

(4) उपमंत्री (सह संयोजक) (देवनागरी वर्णमाला के कमानुसार कार्यकारिणी अभिभावक सदस्यों में से चुना जायेगा)।

(5) कोषाध्यक्ष (देवनागरी वर्णमाला के कमानुसार कार्यकारिणी के अभिभावक सदस्यों में से चुना जायेगा)।

(6) **सदस्य निम्नवत् होगें :–**

(अ) अभिभावक सदस्य–कक्षा 6 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले, कक्षा–7 में सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले, कक्षा 8 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले, कक्षा 9 में सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले, कक्षा–10 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 11 में सबसे कम एवं कक्षा 12 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा के अभिभावक सदस्य होगें। दूसरे वर्ष कक्षा 6 में सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले और कक्षा 7 में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले। इसी तरह प्रत्येक वर्ष कम बदलेगें।

(ब) प्रयास यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्र की एक ग्राम सभा से एक सदस्य होगा तथा शहरी क्षेत्र में एक वार्ड से एक अभिभावक सदस्य होगा।

(स) हाईस्कूल में स्नातक वेतनकम के दो अध्यापक और यदि इण्टर कालेज है तो तीन अध्यापक जिसमें दो स्नातक वेतनकम के और एक प्रवक्ता वेतनकम के सदस्य होगें।

(द) प्रबन्ध समिति का एक सदस्य (प्रबन्ध समिति का पदाधिकारी छोड़कर) होगा।

5– विलुप्त

6– विलुप्त

7– विलुप्त

7ए–(1) शैक्षिक सत्र के आरम्भ में 15 जुलाई के पूर्व प्रत्येक छात्र अपने अभिभावक का विवरण एक निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में विद्यालय के प्रधानाचार्य को देगा। छात्र के कक्षा–अध्यापक इस प्रपत्र की प्रथम प्रति विद्यालय के अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगें तथा द्वितीय प्रति अपने हस्ताक्षर करके छात्र को लौटा देगें।

एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में वही अभिभावक भाग ले सकेगें जिनका नाम उसे प्रपत्र पर अंकित होगा और जो वह प्रपत्र प्रस्तुत करेगें।

7ए–(2) विलुप्त।

7ए–(3) यदि किन्हीं कारणों से जुलाई माह के अन्तिम शनिवार या रविवार को अभिभावकों की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन संभव न हो तो किसी अन्य तिथि को अभिभावकों की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया जायेगा किन्तु ऐसे आयोजन के लिये मंत्री द्वारा विलम्ब का कारण बताते हुये 21 दिन की पूर्व सूचना देनी होगी। 21 दिन की गणना सूचना जारी किए जाने के दिनांक से की जायेगी।

8– कार्यकारिणी के गठन की तिथि – (1) प्रत्येक वर्ष अगस्त मास के प्रथम रविवार को एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का चुनाव नियम–4 के अनुसार किया जायेगा। यदि किसी कारणवश अगस्त मांह के प्रथम रविवार को बैठक आयोजित करना सम्भव न हो तो प्रधानाचार्य द्वारा उसकी लिखित सूचना जुलाई के तीसरे सप्ताह तक जिला विद्यालय निरीक्षक को विलम्ब का कारण बताते हुए देनी होगी।

(2) हटाया गया।

(3) यदि किन्हीं कारणों से अगस्त मास के प्रथम रविवार को एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन संभव नहीं हो सकेगा तो किसी अन्य तिथि को रविवार के दिन आयोजन किया जा सकेगा किन्तु ऐसे आयोजन के लिये उपाध्यक्ष द्वारा एसोसियेशन के सभी सदस्यों को जुलाई के तीसरे सप्ताह तक विलम्ब का कारण बताते हुये 21 दिन की पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी, 21 दिन की गणना सूचना जारी किये जाने के दिनांक से की जायेगी।

स्पष्टीकरण— विनियम 7–ए के उप–विनियम (3) के इस उपविनियम के अन्तर्गत् अभिभावकों की सूचना छात्रों के माध्यम से उपाध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक रूप से दी जाएगी और सूचना की एक प्रति सूचना पट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

9– विलुप्त।

10– विलुप्त।

11– कार्यकारिणी की आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना – यदि किन्हीं कारणों से कार्यकारिणी के पदाधिकारियों या सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है तो उसे कार्यकारिणी द्वारा एसोसियेशन के सदस्यों में से विनियम–4 के अनुसार भरा जायेगा।

12– कार्यकारिणी का कोई पदाधिकारी अथवा सदस्य उपाध्यक्ष को लिखित आवेदन पत्र द्वारा त्याग पत्र दे सकता है।

परन्तु त्याग पत्र तब तक प्रभावी नहीं माना जायेगा जब तक उसे स्वीकार न कर लिया जायेगा।

13–**त्याग–पत्र के स्वीकार किये जाने की प्रकिया**– किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य का त्याग–पत्र प्राप्त होने पर उपाध्यक्ष उसे कार्यकारिणी के विचार के लिए भेजेगा। कार्यकारिणी का विचार प्राप्त हो जाने के पश्चात् उपाध्यक्ष त्याग–पत्र को स्वीकार करेगा।

14–**आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की बैठक** – एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार होगा जो सामान्यतः अगस्त मास के प्रथम रविवार और जनवरी मास के प्रथम रविवार को होगा। आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की कार्य सूची (एजेण्डा) परिशिष्ट–1 में दिये गये विवरणानुसार होगी।

15–**आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता**– एंसोसियेशन की प्रथम (अगस्त माह की) आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगें और उसके बाद की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यख द्वारा प्रस्तावित कार्यकारिणी के पदाधिकारी–अभिभावक सदस्य द्वारा की जायेगी।

अध्याय–तीन

कार्यकारिणी के कृत्य, कर्तव्य एवं अधिकार

16– कार्यकारिणी के कर्तव्य – कार्यकारिणी के प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित होगें:–

(1) अध्यापकों और अभिभावकों की कक्षावार बैठक आयोजित करना। कक्षावार बैठक आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार किया जाएगा जो सामान्यतः जनवरी और अगस्त माह के प्रथम रविवार को होगा। कक्षावार बैठक की कार्यसूची **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार होगी।

(2) संस्था के शिक्षण स्तर एवं आवश्यकता का आंकलन करके उनको बढ़ाने तथा समाधान करने का निर्णय लेना।

(3) संस्था के गत तथा चालू वर्ष के शिक्षण दिवसों की समीक्षा करना।

(4) संस्था के लिए भौतिक एवं आर्थिक संसाधन जुटाना।

(5) भौतिक संसाधनों में भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पुस्तकें, खेल का मैदान काष्ठोपकरण, पेयजल व्यवस्था, प्रसाधन कक्षों आदि की व्यवस्था करना है।

(6) संस्था के पाठ्येत्तर किया–कलापों–जैसे राष्ट्रीय और महापुरूषों के जन्म–दिन, धार्मिक त्यौहार सामुदायिक कार्य आदि के आयोजन में समाज का योगदान प्राप्त करना।

(7) संस्था की सम्पत्ति को संरक्षण प्रदान करना।

(8) संस्था के शैक्षिक उन्नयन हेतु कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग देना तथा श्रेष्ठ छात्रों श्रेष्ठ अध्यापकों, श्रेष्ठ अभिभावकों को सम्मानित करना।

(9) संस्था के संचालन में जिसमें संस्था के प्रबन्धकीय प्रशासन में हस्तक्षेप करना सम्मिलित नहीं है प्रबन्ध समिति और प्रधानाचार्य को परामर्श और अपेक्षित सहयोग देना।

17– कार्यकारिणी की बैठक – (1) कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक मास के प्रथम रविवार को विद्यालय परिसर में होगी। इसके अतिरिक्त सात दिन की पूर्व सूचना जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सहमति से उपमंत्री (सहसंयोजक) द्वारा दी जायेगी, पर किसी भी समय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा सकेगी। कार्यकारिणी की बैठक को कार्यसूची **परिशिष्ट–3** में दिये गए विवरणानुसार होगी।

(2) कार्यकारिणी, मासिक बैठक में अगले मास का कार्यक्रम तैयार करेगी और पिछले महीने के निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति को देखेगी।

(3) कार्यकारिणी का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा और सर्वसम्मति से निर्णय न हो सकने की दशा में निर्णय बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

18– एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा और कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवृत्त उपाध्यक्ष द्वारा नामित कार्यकारिणी के अध्यापक सदस्य द्वारा अलग–अलग रजिस्टरों में लिखा जाएगा तथा अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। दोनों कार्यवृत्त रजिस्टर उपाध्यक्ष के संरक्षण में रखे जायेगें।

19– बैठक में भाग लेने के लिये हकदार व्यक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक और अन्य अधिकृत राजपत्रित अधिकारी कार्यकारिणी के आमंत्रण पर बुलाये गये व्यक्ति कार्यकारिणी की बैठक अथवा एसोसिऐशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में किसी भी समय भाग ले सकते हैं और राय दे सकते हैं।

20– विशेष बैठक बुलाया जाना– कार्यकारिणी की विशेष बैठक या आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की विशेष बैठक कार्यकारिणी अथवा एसोसियेशन के एक चौथाई सदस्यों की प्रार्थना पर उपाध्यक्ष द्वारा बुलाई जा सकती है।

21– कार्यकारिणी एवं एसोसियेशन का कारोबार एसोसिएशन तथा कार्यकारिणी का समस्त कारोबार हिन्दी में सम्पादित किया जायेगा।

22– छात्रों की समस्यायें और उनका समाधान –

(1) कार्यकारिणी प्रत्येक मास उच्चतम एवं न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले सभी कक्षाओं के छात्रों को अपनी बैठक में आमंत्रित कर छात्र समस्याओं की जानकारी प्राप्त करेगी और उनका समाधान करेगी।

(2) कार्यकारिणी से खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में विशिष्ट रूचि रखने वाले छात्रों को समय–समय पर अपनी बैठक में आमंत्रित करेगी और उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर इनका समाधान करेगी।

23– शैक्षिक उन्नयन सम्बन्धी विषयों पर कक्षाअध्यापकों की आमंत्रित करना – शैक्षिक उन्नयन सम्बन्धी विषयों पर विचार करने के लिए कार्यकारिणी प्रत्येक कक्षा अध्यापक (Class Teacher)को समय–समय पर आमंत्रित करेगी और विषय समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में प्रयास करेगी।

24– आमंत्रित करने का अधिकार – कार्यकारिणी समय–समय पर आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग, खेलकूद निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, सामुदायिक विकास विभाग या विकास कार्यो से सम्बन्धित अन्य एजेन्सीज के प्रतिनिधि को अपनी बैठक में विचार–विमर्श के लिए आमंत्रित कर सकती है।

25– कार्यकारिणी का कार्यकाल – कार्यकारिणी का कार्यकाल एक शैक्षिक वर्ष होगा।

अध्याय–चार

एसोसियेशन के वित्तीय संसाधन और लेखा परीक्षा

26– संस्था के लिए भौतिक एवं आर्थिक संसाधन कार्यकारिणी संस्था के लिए समाज के उदार और सम्पन्न व्यक्तियों से स्वैच्छिक दान लेने के लिए अधिकृत होगी।

(1) दान प्राप्त करने के लिए संस्था के एसोसियेशन के नाम छपी हुई रसीद दी जायेगी। इस रसीद को कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर होगें।

(2) एसोसियेशन कोष के नाम पर अनुसूचित अथवा पोस्ट आफिस में संयुक्त खाता खेला जायेगा जिसमें प्राप्त धनराशि को जमा किया जायेगा। खाते का रख–रखाव उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पांच सौ की वार्षिक धनराशि का आहरण कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। इससे अधिक धनराशि का आहरण उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। पांच सौ रूपये से अधिक के आहरण पर कार्यकारिणी का पूर्वानुमोदन अनिवार्य होगा।

(3) एसोसियेशन कोष में जमा धनराशि का उपयोग कार्यकारिणी द्वारा संस्था की समस्याओं का निराकरण, आवश्यकताओं का निराकरण, आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास कार्य में किया जायेगा। हर वर्ष बजट पहले कार्यकारिणी में और तत्पश्चात् आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा के समक्ष् अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) एसोसियेशन कोष में जमा धनराशि तथा उसमें से किये गये व्यय का लेखा उपाध्यक्ष के पर्यवेक्षण में एक रोकड़ बही में रखा जायेगा, यह रोकड़ बही मांगे जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक को उपाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी।

27–लेखा परीक्षक–प्रत्येक वर्ष लेखों का संप्रेक्षण करने के लिए कार्यकारिणी द्वारा किसी राजकीय अधिकृत आडिटर को नियुक्त किया जायेगा, जो कार्यकारिणी का सदस्य नहीं होगा। यह नियुक्ति प्रत्येक वर्ष सितम्बर मास तक की जायेगी और प्रत्येक माह के लेखें का संप्रेक्षण साथ–साथ कराया जायेगा। कार्यकारिणी के अनुमोदन के पश्चात् सामान्य सभा में उक्त लेखा एवं सम्प्रेक्षण आख्या का विवरण एसोसियेशन के समक्ष् प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्याय–पॉच
विविध

28–संस्था की प्रबन्ध समिति में कार्यकारिणी सदस्यों का आमंत्रण –

1–एसोसियेशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संस्था की प्रबन्ध समिति के विशेष आमंत्री अथवा सदस्य के रूप में भाग लेगें।

2–संस्था की प्रबन्ध समिति का यह दायित्व होगा कि प्रबन्ध समिति की प्रशासन योजना में दो अभिभावक सदस्यों की सदस्यता के लिये प्रावधान कराये और जब तक ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक विनियमावली के उपर्युक्त् 28(1) के अनुसार एसोसियेशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्रबन्ध समिति में विशेष आमंत्री के रूप में बुलायें।

29–**संस्था के विभिन्न कार्यकलापों में अभिभावक सदस्यों का प्रतिनिधित्व**–संस्था में गठित की जाने वाली विभिन्न विषय समितियों, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सम्बन्धित समितियों के प्रत्येक विषय में से एक–एक अभिभावक का नामन, जो पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में रूचि रखता हो, कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा।

30–**अभिभावकों को सम्मानित किया जाना**–एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में अथवा कार्यकारिणी की बैठक में अधिकतम उपस्थित अभिभावक सदस्य तथा संस्था के लिये अधिकतम सहयोग देने वाले अभिभावकों को संस्था द्वारा समय–समय पर सम्मानित किया जायेगा।

31– छात्रों की प्रगति – (1) प्रत्येक वर्ष मास अगस्त के प्रथम रविवार को आयोजित एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा कार्यकारिणी एवं अन्य कार्यवाही के उपरान्त कक्षवार अभिभावक अध्यापक बैठक में विभक्त की जायेगी और प्रत्येक कक्षा के छात्रों को आगामी सत्र की पढ़ाई के सम्बन्ध में योजना बनायेगी जिसका कार्यान्वयन संस्था की प्रबन्ध समिति एवं अभिभावक अध्यापक एसोसियेशन की कार्यकारिणी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) यदि एसोसियेशन द्वारा प्रस्तावित किसी योजना अथवा कार्यक्रम के संबंध में प्रबन्ध समिति सहमत न हो अथवा अन्य किसी बात पर एसोसियेशन और प्रबन्ध समिति में मतभेद हो तो संस्था के उपाध्यक्ष दोनों के विचारों का विवरण देते हुये अपनी आख्या के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजेगें और इस सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।

परन्तु यह प्राबधान संस्था की प्रबन्धकीय प्रशासनिक व्यवस्था से सम्बन्धित मामले में लागू नहीं होगा।

(3) हटाया गया।

32–संशोधन–इस विनियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन शासन की पूर्वानुमति से बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा।

परिशिष्ट–एक

अभिभावक अध्यापक एसोसियेशन की अगस्त माह के प्रथम रविवार तथा जनवरी माह के प्रथम रविवार को आयोजित आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की बैठक का एजेण्डा।

1– गत् आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा के कार्यवृत्त का पढ़ा जाना व उसकी पुष्टि।

2– प्रधानाचार्य द्वारा पिछली बैठक के बाद से सम्पन्न कार्य–कलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।

3– अभिभावक – अध्यापक एसोसियेशन के उद्देश्यों का पढ़ा जाना एव यह विचार किया जाना कि किस हद तक इसकी पूर्ति हो रही है।

4– वार्षिक विद्यालय पंचांग की घोषणा एवं उपस्थित व्यक्तियों को उसकी विशेषताओं से अवगत् किया जाना (अगस्त की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा) तथा वार्षिक विद्यालय पंचांग के अनुपालन की स्थिति जनवरी की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा।

5– गृह तथा परिषदीय परीक्षाओं के परीक्षाफलों की चर्चा एवं उनमें सुधार लाने पर विचार।

6– कोषाध्यक्ष द्वारा वार्षिक लेखा की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।

7– सम्प्रेक्षक द्वारा वार्षिक लेखा की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।

8– कार्यकारिणी का गठन।

परिशिष्ट–दो

कक्षावार अभिभावक – अध्यापक सम्मेलन हेतु प्रस्तावित एजेण्डा

1– शिक्षण स्तर में सुधार के लिए अपनाये गये कार्यक्रमों की जानकारी एवं समीक्षा।

2– कक्षा के परीक्षाफल की समीक्षा।

3– पाठ्यक्रम का समय सारिणी के अनुसार पूर्ण किए जाने की योजना एवं समीक्षा।

4– सत्रवार अध्यापक हेतु पठ्यांश का निर्धारण एवं उसकी घोषणा

5– कमजोर छात्रों के लिए निदानात्मक व्यवस्था पर चर्चा।

6– कक्षा के समस्याग्रस्त छात्रों के अध्यापकों से विद्यालय में सम्पर्क एव अनुरक्षण के कार्यक्रम।

7– कक्षा के समस्याजनक बिन्दुओं में सुधार के सुझावों पर विचार।

8– उत्कृष्ट छात्रों की पहचान एवं उनके विकास की योजनाओं पर विचार।

9– प्रतिभावान छात्रों द्वारा पढाई में कमजोर छात्रों की सहायता देने की योजना बनाना व उस पर विचार तथा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, नैतिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की योजना बनाना व उनके अभ्यास की व्यवस्था पर विचार।

परिशिष्ट–तीन

कार्यकारिणी की बैठकों के लिए प्रस्तावित एजेण्डा

1– गत् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

2– पिछली बैठक/बैठकों में लिए गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति :

3– अगले माह के लिए शैक्षिक उन्नयन की योजनाओं पर विचार तथा कार्यकारिणी के उद्देश्यों के अनुरूप अन्य बिन्दुओं पर, योजनाओं पर विचार व निर्णय किया जाना।

4– विद्यालय के लिए अपनाये गये शैक्षिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन।

5– वित्तीय आवश्यकताओं की पहचान और स्वैच्छिक संचालन उपलब्ध कराये जाने पर विचार।

6– कक्षा–9 व कक्षा–11 के सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र, छात्राओं एवं खेल तथा सास्कृतिक क्षेत्र में विशेषता प्राप्त छात्रों/छात्राओं को आमन्त्रित कर उनकी समस्याओं (छात्र समस्याओं) पर विचार व उनका समाधान।

7– उत्तम शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य के लिए अध्यापकों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम।

8– उत्कृष्ट छात्रों व उनके अभिभावकों को सम्मानित एवं अलंकृत करने के कार्यक्रमों का निर्धारण।

9– समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, नैतिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की कक्षावार योजना पर विचार व उनके अभ्यास की व्यवस्था किया जाना।

10– कार्यकारिणी की अगली बैठक की तिथि तय करना।